IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 2, January 2026
Impact Factor: 7.67

सूचना का अधिकार और प्रशासनिक सुधार एक तथ्यात्मक अध्ययन

डॉ. कुसुम भदौरिया

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान

शासकीय महारानी लक्ष्मीवाई उत्कृष्ट महाविद्यायल, ग्वालियर

कंचन सिंह नगेल

शोध छात्र

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

prajapatikanchan48@gmail.com

शोध सार

हम देखते हैं कि सूचना का अधिकार 2005 प्रशासनिक सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय सरकारी संस्थानों में आजादी के पश्चात से ही भ्रष्टाचार, मनमानी, आम व्यक्ति के प्रति रूखा व्यवहार देखने को मिलने लगा था। आम व्यक्ति के लिए सरकारी संस्थानों से कोई भी कार्य करवाना आसान नहीं रह गया था, खास तौर पर हम देखते हैं कि पेंशन, इंक्रीमेंट आम व्यक्ति के लिए प्रकाशित सूचनाओं की जानकारी, नागरिक सुरक्षा जीवन यापन, नौकरी के विज्ञापन, नियुक्तियां आदि कार्यों में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त था। आम नागरिक के लिए सरकारी संस्थानों से सूचना प्राप्त करना काफी कठिन था। अतः राजनीतिक शुभचिंतकों सरकार ने सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता, एकरूपता, समानता आदि के लिए सूचना का अधिकार 2005 आम नागरिकों को प्रदत्त किया।

शोध का उद्देश्य -

सामान्यतः सभी प्रकार के शोध का उद्देश्य नए तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना होता है। इस शोध पत्र का भी मुख्य उद्देश्य सूचना के प्रति आम नागरिकों की जागरूकता का पता लगाना है।

इस शोध पत्र के निम्न प्रमुख उद्देश्य हैं -

1. सरकारी संस्थाओं के कार्यों की जानकारी प्राप्त करना।
2. सरकारी संस्थाओं के कार्यकलापों में हो रहे परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करना।
3. आम नागरिकों में सरकारी सूचना के प्रति जागरूकता का पता लगाना।
4. सूचना की जानकारी प्राप्त करने की विधि का पता लगाना।
5. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करना।
6. सूचना के अधिकार 2005 के प्रभावशीलता का अध्ययन।
7. सूचना प्रकटन की समय सीमा का अध्ययन।

Copyright to IJARSCT
www.ijarsct.co.in
DOI: 10.48175/IJARSCT-30888

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 2, January 2026 Impact Factor: 7.67

हम देखते हैं कि सूचना मानवीय जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभ्य और शिक्षित समाज में नागरिकों को अधिक समय तक सूचना विहीन नहीं रखा जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा सूचना के संबंध में भ्रमित करना,अस्पष्टता प्रदर्शित करना, एक अपराधिक कृत्य है इस अपराध की सजा या दंड, आर्थिक या करवास के रूप में होना चाहिए।

सूचना के अधिकार की परिभाषा -

"भारत के संविधान में लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरन तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और सरकारों तथा उनके परि करणों को शासन के प्रति उत्तरदाई बनाने के लिए अनिवार्य है।"1

नरेंद्र कुमार शुक्ला के अनुसार- "इस अधिनियम के माध्यम से ही नागरिकों को सरकार से जनहित के मुद्दों पर प्रश्न करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। नागरिकों को प्रशासन द्वारा लिए जाने वाले निर्णय एवं उसकी प्रक्रिया जानना सूचना के अधिकार अधिनियम द्वारा ही आसान हुई है। आज नागरिक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के माध्यम से जान पाते हैं कि किसी भी स्तर पर जो निर्णय लिया गया है वह किस प्रक्रिया को अपनाकर लिया गया है इससे शासन के क्रियाकलापों में पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी में वृद्धि हुई है।"2

शोध अध्ययन की परिकल्पना -

1. सूचना के अधिकार से प्रशासनिक सुधार हो रहा है।
2. सूचना के अधिकार से सुशासन जैसी अवधारणा को बल प्राप्त हो रहा है।
3. सूचना के अधिकार से जन जागरूकता में वृद्धि हो रही है।
4. सूचना का अधिकार शासकीय कामकाजों में पारदर्शिता उत्पन्न कर रहा है।
5. सूचना के अधिकार से प्रशासनिक अधिकारियों में और कार्यों में भ्रष्टाचार में कमी आई है।
6. सूचना का अधिकार शासकीय कर्मचारियों में जवाबदेयता तय करने में सहायता करता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने भारतीय आम नागरिकों को सरकारी सूचना और कार्य प्रणाली में सहभागी बनने का अधिकार प्रदान किया है। हम देखते हैं कि सूचना प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है, इसलिए इसकी पहुंच आम नागरिकों तक होना आवश्यक है। सूचना के अभाव में व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभों से वंचित रह जाता है जैसा कि हम देखते हैं कि सत्यानंद मिश्र (लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय दिल्ली) का कहना है कि"सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सरकार में व्याप्त कार्यप्रणाली की गुप्त संस्कृति को खुलेपन एवं पारदर्शिता की संस्कृति में परिवर्तित कर दिया है। यह लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृण बनाने, जनता को अधिकार संपन्न बनाने, भ्रष्टाचार हटाने तथा राष्ट्र के विकास में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा"।3 उक्त कथन से स्पष्ट है कि सूचना का अधिकार तथ्यात्मक रूप से अपना प्रभाव सरकारी कर्मचारियों पर डाल रहा है।

1. पेंशन का निपटारा यथा समय पर संभव हुआ है।
2. निविदा, सरकारी खर्चों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है।
3. लोकतंत्र का आधार वह सरकारी सूचनायें हैं जिसका व्यक्तिगत संबंध या सार्वजनिक संबंध नागरिक से हो।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 2, January 2026 Impact Factor: 7.67

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अधीन अपनी ओर से प्रकटन के संबंध में दिशा निर्देश (शहरी विकास मंत्रालय पी आई प्रकोष्ठ, निर्माण भवन नई दिल्ली- 24 /04/2014) धारा 4 के अधीन निर्देशित है कि-"सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उप धारा 4(2) के तहत अपेक्षित है कि प्रत्येक लोक प्राधिकरण इंटरनेट सहित संचार के विभिन्न माध्यमों के जरिए नियमित अंतराल पर जन सामान्य को अपनी और आधिकारिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उप धारा 4(1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसरण में कदम उठाए ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े"।4

सूचना प्रकटन के निर्देश -

1. खरीद संबंधी सूचना-
2. सार्वजनिक एवं निजी सहभागिता-
3. स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश - इस प्रकार के आदेश में स्पष्ट है कि लोक प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियां संवर्गों की स्थानांतरण नीति का अग्र सक्रिय रूप से प्रकटन किया जाना चाहिए। सभी स्थानांतरण आदेशों को वेबसाइट या इस अधिनियम की धारा 4(4) में सूचीबद्ध विधि से प्रकाशित किया जाना चाहिए।
4. आरटीआई आवेदन -
5. नागरिक चार्टर।

भारत सरकार ने प्रशासनिक सुधार और सरकारी क्रियाकलापों को पहले से अधिक गतिशील बनाने कार्य को आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए NIC अर्थात नेशनल इनफॉरमेशन सेंटर का गठन किया है,इसका प्रमुख उद्देश्य "सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र को बढ़ाना लोगों के लिए कामयाब बनाना है।"5

स्पष्ट है कि आम नागरिक सूचना के अभाव में अधिकार विहीन है। आम नागरिकों को सशक्त और जागरूक बनाने के लिए सूचनाओं का सार्वजनिक होना अति आवश्यक है। अतः प्रधानमंत्री ने सूचना को आम करने का निर्णय लिया है। सभी संस्थाओं को पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाने के भारत शासन द्वारा में 1997 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री का सम्मेलन आयोजित किया गया था और इस बात पर आम सहमति हुई थी कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं को पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाया जाए। नागरिकों को जन सेवा में संलग्न सभी प्रकार की संस्थाओं तथा शासकीय विभागों की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार हो, इसे ध्यान में रखते हुए पूर्ववर्ती राज्य मध्य प्रदेश द्वारा वर्ष 1998 में सूचना के अधिकार को लागू किया गया था"।6

सूचना का अधिकार आम नागरिकों का मौलिक अधिकार है। आम नागरिकों में सूचना प्राप्त करने के प्रति जिज्ञासा धीरे-धीरे बढ़ रही है। सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य में गतिशीलता आ रही है। विकास कार्य में भी तेजी लाने के लिए सूचना का प्रयोग किया जा रहा है। आम व्यक्ति अपने क्षेत्र का विकास, सौंदर्य करण, स्वच्छता चाहता है। अतः विकास कार्य केवल सरकारी फाइलों तक ही सीमित नहीं रह गए, इसलिए सूचना का प्रकाशन और विकास कार्य निरंतर तीव्र होते जा रहे हैं। हम देखते हैं कि किसी शिकायत पर उसका निपटान करना भी आवश्यक है। केंद्रीय सूचना आयोग अपीलों तथा शिकायतों का निपटान करके अपने निर्णय की सूचना अपीलकर्ता, शिकायतकर्ता और पहले अपीलीय प्राधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को देता है, आयोग अपील शिकायत करने वाले मुद्दों की सुनवाई करके अथवा अपीलीय करता शिकायत करता तथा केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या ऐसे वरिष्ठ अधिकारी जिसने पहली अपील पर निर्णय लिया था, द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का निरीक्षण करके अपील शिकायत पर निर्णय ले सकता है।"7

स्पष्ट है कि सूचना के अधिकार से शासकीय कार्यों में नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं। शासकीय कर्मचारी नियमों के अधीन रहकर ही कार्यों को संपन्न करने में रुचि ले रहे हैं। राजस्व विभाग मध्य प्रदेश अध्याय 5 में वर्णित दिशा निर्देश निम्न प्रकार हैं- धारा 4 (1)(b)(v) स्पष्ट नियमावली है कि कार्यालय द्वारा प्रमुखता मध्य प्रदेश

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 2, January 2026 Impact Factor: 7.67

सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2011, मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (सीआरपीसी) वित्त संहिता भंडार क्रय नियम आदि एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी अन्य नियमों का पालन किया जाता है। मध्य प्रदेश शासन के उक्त निर्णय से शासकीय कार्यों में निम्न सुधार देखने को मिलते हैं -

1. निविदाओं की सूचना का प्रकाशन।
2. विज्ञापन न्यूज पेपरों और ऑनलाइन साइट पर समय समय पर उपलब्ध कराना।
3. भू राजस्व विभाग में किसी भी प्रकार भू लेखों भ्रष्टाचार को रोकना।
4. वित्त विभाग को कार्यों से संबंधी जानकारी को पोर्टल के माध्यम से प्रकाशित करना।
5. शासकीय क्रय विक्रय निविदाओं की जानकारी प्रकाशन कराना।
6. किसी भी प्रकार की सूचना को न छुपाना।

कार्यालय तहसीलदार एवं लोक सूचना अधिकारी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (मध्य प्रदेश) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) (b) के तहत मैनुअल को अद्यतन किए जाने हेतु।

कार्यालय कलेक्टर जिला अशोकनगर (मध्य प्रदेश) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) (ख) के तहत 25 बिंदुओं के मैनुअल को अद्यतन किए जाने के संबंध में।

1. तहसील चंदेरी की जानकारी के लिए पोर्टल।
2. सूचनाओं का प्रकाशन।
3. सूचना के अधिकार के तहत मांगी जाने वाली जानकारी अपीलकर्ता को उपलब्ध कराना।
4. सूचना के प्रति जागरूकता का प्रचार प्रसार करना।
5. आम नागरिकों को सूचना प्रदान करना।
6. कार्य, कर्तव्य, स्थापना, अभिलेख, लोक सूचना अधिकारी आदि का मैनुअल प्रकाशन करना।

स्पष्ट है कि इस प्रकार की जानकारी से सूचना का प्रचार प्रसार आम नागरिकों तक आसानी से हो सकेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को करने के लिए संबंधित अधिकारी के पास जाएगा, उसे भटकना नहीं पड़ेगा। अतः हम कह सकते हैं कि सूचना के अधिकार से प्रशासकीय कार्यों में निरंतर सुधार हो रहा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सूचना के अधिकार से प्रशासनिक सुधार हो रहा है। प्रत्येक सरकारी संस्थानों में सूचना अधिकारी की नियुक्तियां की गई है, जो सूचना के अधिकार संबंधी कार्यों का निपटान करती हैं। सूचना के माध्यम से सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी, सार्वजनिक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर लिए गए निर्णय को लोक प्राधिकरणों के अधिकार में रखकर खोला जा सकता है। सूचना का अधिकार सरकारी कार्यालय में व्याप्त कमियों को दूर करने का साधन भी है। इसके माध्यम से प्रशासनिक सुधार के साथ-साथ भ्रष्टाचार, मनमानी आदि पर अंकुश लगा है। सूचना के माध्यम से ही लोकतंत्र को मजबूत किया जा रहा है। यह सत्ता के दुरुपयोग को रोकने में सहायक है। शासकीय कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुशासन और समाज में परिवर्तन इसके द्वारा ही संभव है।

हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि आम नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सूचना का होना महत्वपूर्ण कारक तत्व है। विकास योजनाओं में गबन, लापरवाही, घटिया सामान का मजदूरी आदि की जानकारी सूचना के अधिकार से ही प्राप्त होती है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 2, January 2026 Impact Factor: 7.67

सूचना के अधिकार के कुछ व्यवहारिक दृष्टिकोण -

1. घोटालों और भ्रष्टाचार को उजागर करना-
    a. आदर्श सोसाइटी घोटाला 1999
    b. व्यापम घोटाला 2000
    c. सरकारी कामकाज में तेजी
2. प्रशासनिक सुधार स्कूल-
    a. कॉलेज व शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सुधार
    b. सर्व शिक्षा अभियान की जानकारी
    c. मनरेगा में सुधार
3. सरकारी रिपोर्ट -
    a. ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करना
    b. पोर्टल पर सूचनाओं का प्रकाशन
    c. वेबसाइट का निर्माण
4. सामाजिक न्याय की मांग-
    a. नागरिक जागरूकता अभियान
    b. नागरिकों की भागीदारी
    c. पारदर्शिता
    d. जवाबदेही का निर्धारण
5. सूचना के अधिकार में संशोधन हेतु सरकार ने लचीला रुक अपनाया है।

सूचना के अधिकार से आम नागरिकों को लाभ -

1. वर्ष 2002 में संसद में सूचना का अधिकार से पहले सूचना की स्वतंत्रता विधेयक (फ्रीडम आफ इनफॉरमेशन बिल) पारित किया गया। आम जनता तक सरकारी कार्यों को पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे विधेयक निरंतर बनते रहे हैं, किंतु कभी भी व्यावहारिक रूप से इसका प्रकटन नहीं हो पाया है। प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और अपारदर्शिता व्याप्त थी। आम जनता का मौलिक अधिकार जैसे सूचना, जानकारी डॉक्यूमेंट, स्वयं के दस्तावेज, नियमावली आम नागरिकों को उपलब्ध नहीं थे। सरकारी कार्यालय में हो रही मनमानी पर अंकुश लगाना कठिन हो रहा था।
2. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (1) में जानने का अधिकार अंतर्निहित है। जानना और जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। न्यायालय इस विषय में निर्णय देता है, कि लोकतंत्र की मूल अवधारणा यह है कि नागरिकों की सहमति के आधार पर शासन होना चाहिए। (हिम्मतलाल बनाम पुलिस आयुक्त 1973 का निर्णय)
3. सामान्य हितों के विषय पर विचार और सूचना ग्रहण करने तथा पाने के अधिकार भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। (भारत संघ 1960 बना हमदर्द दवाखाना)

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 2, January 2026 Impact Factor: 7.67

4. उच्चतम न्यायालय ने 1973 में उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राज नारायण मामले में सुनवाई के तहत यह आदेश पारित किया कि लोक प्राधिकारियों द्वारा कार्यों का ब्यौरा आम जनता को प्रदान करने की व्यवस्था की जाए।
5. वर्ष 2006 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार की गुप्त बात,गुप्त कार्य शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1930 की धारा 5 को निरस्त करने का निर्णय लिया, इससे सूचना के अधिकार में लचीलापन आया और सरकारी कर्मचारी सरकारी कार्यों को गोपनीयता के नाम पर सूचना को छुपाने से नहीं बच पाया।
6. इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर बनाम भारत संघ (1985) के ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय कहता है कि "नागरिकों को सरकार के संचालन संबंध सूचनाओं के विषय में जानने का अधिकार है"।
7. दसवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में यह माना गया है कि शासन की विकास योजना का संचार जितना अधिक होगा इसका लाभ आम नागरिकों को अधिक से अधिक प्राप्त होगा।

निष्कर्ष

1. सूचना का अधिकार प्रशासनिक सुधार के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है।
2. विकास योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक आम नागरिकों तक पहुंचनी चाहिए,तभी सूचना के अधिकार का व्यावहारिक निर्णय हो सकता है।
3. भ्रष्ट अफसरों पर लगाम लगाने के लिए सूचना का अधिकार कारगर साबित हुआ है।
4. सूचना का अधिकार से आम नागरिकों को सरकारी सूचनाएं समय पर और आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं।
5. जनसुनवाई से ग्रामीणों के जमीन से जुड़े दस्तावेज, पट्टा आदि की गड़बड़ियों का खुलासा होता है।
6. मजबूर संगठन और आम नागरिकों ने भ्रष्ट अफसरों और कद्दावर नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का साहसिक कार्य किया है।
7. सूचना का अधिकार आम नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।
8. सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद व राज्य विधान मंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक,कैग और निर्वाचन आयो जैसे संविधानिक निकायों व उनसे संबंधित पदों को भी सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है।

अतः स्पष्ट है कि सूचना का अधिकार प्रशासनिक सुधार में व्यवहारिक रूप से सफल रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. वसीम कुमार विनोद- सूचना का अधिकार 2005, विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली,प्र सं 2011 पृष्ठ 1
2. शुक्ल कुमार नरेंद्र- सूचना का अधिकार, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर, पृष्ठ 2
3. मिश्र सत्यानंद- भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली 2007 पृष्ठ 3
4. मोहन माधवी - शहरी विकास मंत्रालय पी- आई प्रकोष्ठ- निर्माण भवन, नई दिल्ली प्र 2014 पृष्ठ 4
5. दत्ता स्वरूप- एन आई सी मुख्यालय, नई दिल्ली, पृष्ठ 1
6. भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली पृष्ठ 8
7. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग हस्त पुस्तिका भाटापारा पृ 3